5

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 53 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 284/2025

1 जसवीर सिंह पुत्र निकइ सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड 3 लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2 बोहड़ सिंह पुत्र निकइ सिंह जाति कुम्हार निवासी 29 एमजेडी लालपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

-:वादी

बनाम

1 प्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2 प्रेम कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3 महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4 विमला पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5 सावित्री पत्नी पृथ्वीराज (फौत)
5/1 पृथ्वीराज पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (फौत)
5/2 प्रेम कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (रिपीट)
5/3 महावीर प्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (रिपीट)
5/4 प्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (रिपीट)
5/5 साहबराम पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5/6 बिमला देवी पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5/7 दलीप कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (अविवाहित फौत)
6 साहबराम पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी छापावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (रिपीट)
7 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-
1. श्री नवप्रीत सिंह बराड़ - अधिवक्ता वादी
2. एक पक्षीय कार्यवाही - प्रतिवादी सं. 1 ता 4, 5/5, 5/6
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 7

-:निर्णयः-

दिनांक 06.08.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सख्या 1 से 6 के नाम चक 28 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 102/97, खाता जसवीर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 76/195 (17) किला नम्बर 2 से 10, 14, 15/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 77/200 (47) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, 17/.253, 18/.253, पत्थर नम्बर 78/194 (5) किला नम्बर 22/.253 हैक्टेयर कुल 3.795 हैक्टेयर आराजी संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादीगण प्रत्येक के नाम 1/30-1/30 हिस्सा यानि 0.1265-0.1265 हैक्टेयर कुल .253 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि को वादीगण ने प्रतिवादीगण से किला खोलकर खरीद की गई थी। मुताबिक विक्रय पत्र (फोटोप्रति संलग्न वाद पत्र है।) वादीगण के आधिपत्य व धारण में निम्न लिखित कृषि भूमि चली आ रही है

(क) हिस्सा वादीगण बहिस्सा बराबर (0.253 हैक्टेयर) तहसील हनुमानगढ चक 28 एमएमके के खाता सख्या 102/97, खाता जसवीर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 78/194 (5) किला नम्बर 22/.253 हैक्टेयर कृषि भूमि।

यह कि वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि वादीगण के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता सांझा होने के कारण वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर बट, सीव व रकमराज को लेकर विवाद रहता है, इस कारण वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि का वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि का वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार वादीगण के आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि खाता विभाजन करवाकर रकमराज अलग कायम करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी सख्या 07 को प्रशनगत कृषि भूमि का भू-धारक होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार बनाया है ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित हो सके।

यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावेः-

(क) कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि में वादीगण के नाम वाद की चरण संख्या 3 के अनुसार वादीगण के आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि चक 28 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 102/97, खाता जसवीर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 78/194 (5) किला नम्बर 22/.253 हैक्टेयर का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावे।

7

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 4, 5/5, 5/6 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। बहस वादी पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी पक्ष अपने कब्जा काश्त के समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नही कर पाए। इसलिए वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय के मत में कोई भी पक्ष अपना कब्जा साबित करने में सफल नहीं हुआ है, अतः वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर वादग्रस्त खाता के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार हनुमानगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि:- चक 28 एमएमके खाता सं. 102/97 में दर्ज तादादी 3.795 हैक्टेयर आराजी में दर्ज खातेदारो/सहखातेदारों की उपस्थिति में विधि सम्मत पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर समस्त सह-काश्तकारों के हिस्सानुसार वादीगण की हद तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में अच्छी-मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर, आगामी तारीख पेशी 09.09.2025 तक भिजवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को अलग से तहरीर जारी हो। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ